राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
जयपुर

पत्र क्रमांक एफ–आरएमएससी/प्रशासन/2011/५५२ दिनांक: 2.11.2011

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,
सहकारिता विभाग,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषयः– पेन्शनर्स व राज्य कर्मचारियों को उपभोक्ता भण्डारों पर दवा उपलब्धता में कठिनाई होने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि "मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना" प्रारम्भ होने के पश्चात कुछ स्थानों पर पेन्शनर्स व राज्य कर्मचारियों को दवा न मिलने की शिकायते प्राप्त हो रही है। इस ओर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :–

1. मुख्य सचिव महोदय जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप व अभी हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में चिकित्सकों द्वारा जैनेरिक नाम से ही दवा लिखी जा रही है लेकिन कुछ उपभोक्ता भण्डार द्वारा संचालित निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों पर उन्हें दवा उपलब्ध नही करवाई जा रही है। इस संबंध में प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉपोरेशन ने निदेशक पेन्शन, ड्रग कन्ट्रोलर, कॉपरेटिव विभाग के अधिकारी एवं राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉपरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी पर उसका कोई सकारात्मक परिणाम सामने नही आया है।

2. चिकित्सा सेवाएं आवश्यक प्रवृति की होने के कारण रविवार व राजकीय अवकाश के दिन भी 2 घण्टे के लिए मरीजों की सुविधा हेतु आउटडोर खुला रहता है परन्तु कॉपरेटिव विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र बन्द रहते है जिसके कारण मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श के पश्चात दवा प्राप्त नही हो पाती, इसलिए कॉपरेटिव विभाग द्वारा सन्चालित निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र को प्रत्येक दिवस को खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जावें। कुछ जगह प्रायः यह भी देखने मे आया है कि मरीज जब चिकित्सक से पर्ची लिखवाकर वापस आता है तो पता चलता है कि दवा वितरण केन्द्र बन्द हो गया है, इसलिए यह भी सुनिश्चित किया जावें की जब तक लाइन में खडे सभी मरीजों को दवा नही मिल जाती तब तक दवा वितरण केन्द्र खुला रहे।

3. पेन्शनर्स व राज्य कर्मचारियों को उपभोक्ता भण्डारों पर जैनेरिक दवाईयां नही मिल रही है। इसके लिए यह तय किया गया था कि उपभोक्ता भण्डार में जैनेरिक नाम से दवाईयां उपलब्ध करवाई जावें तथा दवा के साल्ट नाम से पेन्शनर्स व राज्य कर्मचारियों को दवा का वाउचर दिया जावें और ब्रेकिट में कम्पनी का नाम लिख दिया जायें ताकि बिलों को ट्रेजरी में पास होने पर किसी प्रकार की कठिनाई ना हों।

4. राजकीय चिकित्सालयों मे उपलब्ध सभी दवाईयां प्रत्येक दवा वितरण केन्द्र पर समान रूप से उपलब्ध होनी चाहियें। प्रतिदिन सायं को यह सुनिश्चित करवाये की दवा वितरण केन्द्रों पर जो दवाईयां खत्म हो गई है वह अगले दिन आउटडोर के खुलने से पूर्व ही Replenish कर दी जावें। इसी प्रकार इन्डोर दवा वितरण केन्द्रों पर भी दवा की उपलब्धता सुनश्चित की जावें।

5. मुख्य सचिव महोदय द्वारा विडियों कान्फ्रेन्सिंग की बैठक मे जिला कलैक्टर भीलवाड़ा ने अवगत करवाया कि 12 उपभोक्ता भण्डारों मे से 6 उपभोक्ता भण्डार बन्द हो चुकी है जिससे मरीजों को वहां पर दवा नही मिल पा रही है एवं अन्य स्थानों से भी इसी प्रकार की सुचनाएं प्राप्त हो रही है। कृपया सभी दुकानों को वापस सुचारू रूप से चलवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

6. दवा वितरण केन्द्र पर दवा उपलब्ध नही होने पर मरीज को सही रूप से लाइफ–लाइन से दवा लेने के लिए परामर्श दिया जावें जिससे मरीज को दवा के लिए इधर–उधर ना भटकना पड़ें और साथ ही यह भी परामर्श दिया जावे की प्रिस्क्रिपशन में लिखी दवा किस प्रकार से ली जावें।

संलग्न :- तीन छाया प्रति

भवदीय,

(बी. एन. शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी, राजस्थान–जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, राजस्थान–जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन. आर. एच. एम., राजस्थान–जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, आर. एम. एस. सी., राजस्थान–जयपुर।
5. निदेशक, आर. सी. एच./एडस/जन–स्वास्थ्य, राजस्थान–जयपुर।
6. समस्त संयुक्त निदेशकगण, जोन, राजस्थान–जयपुर।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीगण, राजस्थान–जयपुर।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारीगण, राजस्थान–जयपुर।
9. कन्ट्रोल रूम, रूम नम्बर–313, एनआरएचएम/आरएमएससी, निदेशालय, जयपुर।
10. प्रभारी, केन्द्रीय सर्वर रूम, निदेशालय, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि0 मेडिकल अनुभाग
एस. जी. आर–I, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर
टेली सं. 0141– 2742866, 2742724 फैक्स नं. 0141– 2742724

क्रमांक 8920

दिनांक 18/10/11

सदस्य सचिव एवं निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग,
जयपुर

विषयः– अधिकृत चिकित्सक द्वारा पेंशनर्स की मेडीकल डायरी में लिखी गई दवाईयॉं ही देने बाबत।

सन्दर्भः– आपका परिपत्र संख्या 8/2011 एवं पत्रांक एफ–22(1)आरपीएमएफ/2011/6403 दिनांक 27.9.11

महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना प्रारम्भ होने के पश्चात राज्य के चिकित्सकों द्वारा जैनेरिक (सॉल्ट) नाम से दवाईयॉं लिखी जा रही है।

आपने सन्दर्भित परिपत्र संख्या 8/2011 के द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र संख्या 5/2011 को विदड्रा (Withdraw) करते हुए निर्देशित किया है कि राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायती योजना 2009 के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत चिकित्सक द्वारा पेंशनर की डायरी में लिखी गई औषधियॉं ही दी जावें।

इस सम्बन्ध में यह निवेदन किया जाना उचित होगा कि पेंशनर्स की डायरी में अधिकृत चिकित्सकों द्वारा सॉल्ट के नाम दवा लिखी जाती है। उक्त सॉल्ट की दवा को अपना नाम देते हुए विभिन्न कम्पनियों द्वारा दवा निर्मित की जाती है। राज्य सरकार द्वारा आरडीपीएल/आईडीपीएल या अन्य सरकारी उपक्रम संस्थाओं को आदेश देकर दवा क्रय की जाती है, वे दवा ही सॉल्ट के नाम से आती है जिनकी आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है।

सॉल्ट के नाम से दवाओं की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने तथा उसी सॉल्ट की ब्राण्डेड नाम से दवा देने से वर्जित करने सम्बन्धी आपके परिपत्र 8/11 के कारण पेंशनर्स को दवा देने में कठिनाई आ रही है। पेंशनर्स जो कि वृद्व होते है तथा असक्त होते है, को समय पर दवा नहीं मिलने पर किसी अप्रिय घटना के घटित होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। समय पर पेंशनर्स को दवा नहीं मिलने से पेंशनर्स में असंतोष व्याप्त है तथा विक्रेताओं से झगड़े की नोबत तक आ जाती है।

ऐसी परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए आपसे अनुरोध है कि आपके द्वारा जारी परिपत्र संख्या 8/11 में संशोधन करते हुए परिपत्र संख्या 5/2011 में औषधि एवं नियंत्रक, राजस्थान जयपुर द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुसार ही उपभोक्ता संघ को सॉल्ट की दवा जैनेरिक नाम से उपलब्ध नहीं है तो मरीज़ को उसी सॉल्ट की ब्राण्डेड नाम से दवा उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करने का श्रम करावें, जिससे पेंशनर्स को दवा प्राप्त करने व एनएसी का भुगतान प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पडें।

प्रबन्धक मेडीकल

न्यासी बोर्ड
राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.22(1) आरपीएमएफ/2010–11 6403 दिनांक 27.9.11

परिपत्र संख्या 8/2011

विषयः– अधिकृत चिकित्सक द्वारा पेंशनर्स की मेडिकल डायरी में लिखी गयी दवाईयां ही पेंशनर को देने के संबंध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना के पैरा 14(1) के अनुसार सहकारी उपभोक्ता संघ/भण्डार की अधिकृत मेडिकल दुकानों द्वारा पेंशनर्स को वे ही दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी जो अधिकृत चिकित्सक द्वारा पेंशनर की मेडिकल डायरी में लिखी गई है।

योजना के संलग्न आवश्यक निर्देश "अधिकृत दवा विक्रेताओं हेतु" के क्रम संख्या 3 के पैरा 4 में स्पष्ट किया गया है कि अधिकृत चिकित्सक द्वारा पेंशनर की मेडिकल डायरी में लिखी गई दवाईयां ही पेंशनर्स को दी जाये। चिकित्सक द्वारा लिखी गयी दवाईयों के स्थान पर सब्स्टीट्यूट दवाईयां पेंशनर को देने पर ऐसी दवाईयों का भुगतान देय नहीं होगा।

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र संख्या 5/2011 क्रमांक प.22(1)आरपीएमएफ/2008/5400–32 दिनांक 16.8.11 एतद् द्वारा विद–ड्रा (With draw) किया जाता है।

अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि पेंशनर को स्कीम के प्रावधानानुसार ही दवाईयां उपलब्ध कराई जाये अन्यथा भुगतान देय नहीं होगा।

सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर

क्रमांकः एफ.22(1) आरपीएमएफ/2010–11 6404-92 दिनांक 27.9.11

1. समस्त जिला कलेक्टर।
2. विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राज. जयपुर।
3. विशेषाधिकारी, वित्त (पेंशन एवं बीमा) विभाग, राज. जयपुर।
4. उप शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राज. जयपुर।
5. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज. जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राज. जयपुर।
7. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
8. प्रबंध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, राज. जयपुर।
9. समस्त कोषाधिकारी।
10. श्री डी सी गुप्ता, अध्यक्ष, राजस्थान पेंशनर समाज, राज. जयपुर।
11. समस्त स्टाफ, आरपीएमएफ।

सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर

परिशिष्ट (5)

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड

द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर – 302005
दूरभाष नम्बर : 0141 – 2740098, 2740079
फैक्स नम्बर : 0141 – 2740235

क्रमांक : 9025-126 दिनांक: 13/12/10

सर्किल सुपरवाईजर मैडिकल (समस्त)
विक्रेता/दायित्व प्रभारी
दवा विक्रय केन्द्र (समस्त)
मैडिकल अनुभाग, कॉनफैड,
जयपुर

विषय :– अप्रतिपूर्ति योग्य एवं प्रतिस्थापित दवाईयाँ उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 10.12.2010 को वित्त विभाग, राजस्थान सरकार में आयोजित बैठक में कोषाधिकारी, जयपुर शहर द्वारा आपत्ति उठाई गई है कि उपभोक्ता संघ के दवा विक्रय केन्द्रों पर विक्रेताओं/दायित्व प्रभारियों द्वारा अप्रतिपूर्ति योग्य एवं प्रतिस्थापित दवाईयाँ (नॉन रिएम्बर्सिबल एवं सब्स्टिट्यूट दवाईयाँ) पेंशनर्स को दे दी जाती है, जो नियम विरूद्ध एवं कानूनन अवैध है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पेंशनर्स को दवा देने से पूर्व उसकी डायरी की गहनता से जांच करे, फर्जी डायरी पाये जाने पर उसको जब्त कर, कार्यालय में जमा करायें। साथ ही पेंशनर एवं राज्यकर्मियों को अप्रतिपूर्ति योग्य एवं बिना चिकित्सक के लिखे प्रतिस्थापित दवाईयाँ नहीं दी जावें। ग्राहक को वही दवाईयां उपलब्ध कराई जावें जो चिकित्सक द्वारा लिखी गयी हों।

उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना की जावें एवं इसमें लापरवाही पाये जाने पर व्यक्तिशः उत्तरदायी माना जावेगा तथा इसमें उपभोक्ता संघ का कोई दायित्व नहीं होगा।

कृपया सूचित रहे।

भवदीय,

प्रबन्ध संचालक 13/12/10

क्रमांक : 9025-126

दिनांक : 13/12/10

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, कोष कार्यालय, जयपुर
4. कोषाधिकारी, जयपुर ग्रामीण, कोष कार्यालय, जयपुर

प्रबन्ध संचालक 13/12/10

न्यासी बोर्ड

राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना,

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प. 24(1)आरपीएमएफ/2011/ दिनांकः

रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियां,
राजस्थान, जयपुर.

विषयः- पेंशनर्स को निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

पेंशनर्स समाज द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता भण्डारों द्वारा दवाईयों का पर्याप्त स्टॉक नहीं रखा जा रहा है तथा अधिकृत चिकित्सक द्वारा मेडिकल डायरी में लिखी गई समस्त दवाईयां उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जाती है। पेंशनर्स को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के संबंध में डॉ. समित शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के कक्ष में दिनांक 21.10.2011 को आयोजित बैठक में कॉनफैड अधिकारियों एवं ड्रग कन्ट्रोलर द्वारा विस्तृत चर्चा की गई।

अतः आपसे निवेदन है कि समस्त भण्डारों को निर्देशित करावें कि अधिकृत चिकित्सक द्वारा लिखी गई सभी दवाईयां पेंशनर्स को उपलब्ध करावें।

भवदीय,

सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर

क्रमांकः प. 24(1)आरपीएमएफ/2011/ 7001 दिनांकः 21.10.11

प्रतिलिपिः- डॉ. समित शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर।

सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर

Government of Rajasthan
Rajasthan Medical Services Corporation
Department of Medical, Health & Family Welfare, Jaipur

No.F.()/RMSC/ADMIN/2011/376 Date : 12/10/11

To,

All Principals Medical Colleges/ Superintendents Attached Hospitals
All Joint Directors/ PMOs/CM&HOs

Sub.:- Regarding Prescription by doctors.

Kindly refer to the Chief Secretary's letter no. RMSC/MF/2011/213 dated 26.08.11, wherein instructions regarding prescription have been issued. It clearly indicates that **as far as possible**, the doctors should prescribe essential drugs by generic name as per the standard treatment guidelines.

It also instructs doctors and staff to properly counsel the patients regarding the quality & availability of drugs.

The above order states that other drugs (which are not made available by RMSC free of cost) are to be provided through life line drugs stores at low cost. As of now, due to failure on part of suppliers in some cases, the free drugs made available by RMSC do not contain many important drugs. These drugs are to be provided at life line drug stores and co-operative stores at competitive prizes so that these can be purchased by the patients. Therefore, if the clinical condition of the patient requires prescription of drugs out of the free category, the doctor may exercise his clinical judgement to prescribe other drugs as well.

This would be as per the principle of "rational use of medicines" and would be subject to prescription audit. It is reiterated that no change in rules for medical reimbursement for Govt. employees or for pensioners has been effected. So they may get the drugs as warranted by their clinical condition. At the same time it is expected by the prescribers to stick to the principle of rational use of medicines and to follow WHO guidelines for essential drugs and standard treatment protocols, as well as code of medical ethics as prescribed by Medical Council of India.

Principal Secretary,
Medical & Health, Deptt/
Medical Education Deptt.
Govt of Rajasthan Jaipur

Copy to:-

1. P.S. to Principal Secretary, M. & H. Deptt.,Raj. Jaipur
2. P.S. to Mission Directror, NRHM, M & H, Raj. Jaipur
3. Director RCH/PH/Aids/ IEC, M & H. Jaipur
4. Server Room to e-mail to all concerned.

Managing Director
RMSC

न्यासी बोर्ड
राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायत योजना,
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प. 22(1)आर.पी.एम.एफ./2008/ 5400-32 दिनांक 16-8-11

समस्त,
कोषाधिकारी

S.M (Med)
M. (Med)

परिपत्र संख्या 05/2011.

विषय:— जैनरिक दवाओ के सम्बन्ध में।

महोदय,

कतिपय कोषाधिकारियों द्वारा यह स्पष्टीकरण चाहा जाता है कि यदि अधिकृत चिकित्सक द्वारा पेंशनर को जैनरिक नाम से दवा लिखी जाती है, और यदि वह दवा मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नही होती है, तो क्या उसी साल्ट की ब्राण्ड नेम से दवा पेंशनर को दी जा सकती है या नही।

निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0, जयपुर से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा गया था। इस सम्बन्ध में औषधि नियंत्रक राजस्थान जयपुर द्वारा निम्न स्पष्टीकरण दिया गया है।

1868
23/8/11

यदि किसी चिकित्सक द्वारा मरीज को जैनेरिक नाम से दवा prescribe की जाती है और राजकीय ड्रग स्टोर/उपभोक्ता भण्डार स्टोर पर यदि वह दवा जैनरिक नाम से उपलब्ध नहीं है, तो मरीज को उसी साल्ट की दवा ब्राण्ड नेम से भी सप्लाई की जा सकती है।

भवदीय,

सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर

क्रमांक: प. 22(1)आर.पी.एम.एफ./2008/ 5433-81 दिनांक 16.8.11

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त जिला कलेक्टर।
2. विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राज. जयपुर।
3. विशेषाधिकारी, वित्त (पेंशन एवं बीमा) विभाग, राज. जयपुर।
4. उप शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, राज. जयपुर।
5. निदेशक, कोष एवं लेखा, विभाग, राज. जयपुर।
6. निदेशक, पेंशनर एवं पेंशनर्स कल्याण, विभाग, राज. जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राज. जयपुर।
8. प्रबंध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, राज. जयपुर।

9. श्री डी.सी. गुप्ता, अध्यक्ष, पेंशनर समाज, राज. जयपुर।
10. समस्त स्टाफ, आरपीएमएफ।

सदस्य सचिव एवं निदेशक
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर